उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग
Uttarakhand Subordinate Services Selection Commission

पत्रांक /Ref. No.: 168 | दिनांक /Date: 16-06-2020

संवाद–40

विषयः–अभ्यर्थियों द्वारा त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्र सबमिट किये जाने के संबंध में।

उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को ईमेल व पत्राचार के माध्यम से कुछ अभ्यर्थियों से पृच्छायें प्राप्त हो रही हैं कि उनके द्वारा त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्र सबमिट कर दिया गया है क्या वे अपने आवेदन पत्र में सुधार कर सकते है?

कुछ अभ्यर्थियों द्वारा EWS आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र न होने पर भी EWS आरक्षित श्रेणी में आवेदन शुल्क (150 रू0) सहित आवेदन पत्र सबमिट कर दिया गया है उन आवेदन पत्रों में त्रुटि सुधार सम्भव नहीं है। अतः वे त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्र को CANCEL कर पुनः सामान्य श्रेणी से आवेदन शुल्क(300 रू0) सहित आवेदन कर सकते है। अन्य अभ्यर्थी भी अपने त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्र को CANCEL कर दोबारा आवेदन कर सकते है। इसके लिए आवेदन पत्र के प्रारूप में ही CANCEL बटन दिया गया है।

अभ्यर्थियों को पुनः सूचित करना है कि कोई भी प्रमाण पत्र जिसमें कोई समय अवधि दी गयी है उसी अवधि तक विधि मान्य होगा। उस अवधि के बाद पुनः प्रमाण पत्र जारी किया जायगा। आयोग के आवेदनों में इसका स्पष्ट उल्लेख रहता है कि अभ्यर्थी के पास आवेदन पत्र की अंतिम तिथि तक सभी अर्हतायें पूर्ण होनी चाहिए तथा सम्बन्धी विधिक प्रमाण पत्र उस तिथि के पूर्व का उपलब्ध होना अनिवार्य है।

अतः त्रुटिपूर्ण आवेदन के स्थान पर नया आवेदन पत्र भरने के लिए अभ्यर्थी उपरोक्तानुसार CANCEL का विकल्प लेकर नया आवेदन पत्र भर सकते है। इस प्रक्रिया में पूर्व में जमा किया गया शुल्क वापस नहीं किया जायगा।

16/6/2020

(संतोष बडोनी)
सचिव।

Scanned by CamScanner